



2026:AHC:68268

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या- 1901 वर्ष**

**2026**

**पंकज यादव ..... आवेदक**

**बनाम**

**उत्तर प्रदेश राज्य ..... प्रतिपक्षी**

**आवेदक के अधिवक्ता: कपिल यादव, स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव**

**प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता**

**न्यायालय सं - 72**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ल**

1. आज दायर किए गए पूरक हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक की अधिवक्ता, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता सुश्री स्वाति अग्रवाल को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत अग्रिम ज़मानत आवेदन आवेदक की ओर से केस अपराध संख्या-595 वर्ष 2025 में धारा 87, 64(1) बी.एन.एस., थाना-घोसी, जिला मऊ के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है क्योंकि आवेदक को उपरोक्त मामले में उसकी गिरफ्तारी की आशंका है।
4. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को गलत तरीके से फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट और धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान, यदि एक साथ पढ़ा जाता है, तो इंगित होता है कि पीड़ित जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है, एक सहमति देने वाला पक्ष था।
5. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि धारा 180 और 183 के तहत दर्ज बयान के अनुसार बी.एन.एस.एस. इंगित करता है कि आवेदक ने कक्षा शिक्षक को फोन किया था, जबकि

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



पीड़िता खुद को पीड़िता का चचेरा भाई बताकर कक्षाओं में भाग ले रही थी और वह कक्षा से बाहर आई थी और फिर आवेदक के साथ मोटरसाइकिल पर उसके कॉलेज से आवेदक के दोस्त के घर तक गई थी, जहां उसे बिना किसी शोर गुल के दो दिनों के लिए हिरासत में लिया गया था, जहां उसे न तो धमकी दी गई थी और न ही किसी भी तरह से रोका गया था, स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के संस्करण की असत्यता को इंगित करता है।

6. अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करता है कि पीड़ित को उसके कब्जे से बरामद नहीं किया गया था और कहा जाता है कि आवेदक अपने दोस्त के घर पर नहीं था जब वह भाग गया था। चिकित्सा परीक्षा बाहरी चोट के किसी भी निशान का संकेत नहीं देती है।

7. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया था कि आवेदक प्रस्तुत मामले में प्राथमिक आरोपी है। उसने पीड़िता का अपहरण और बलात्कार किया है, जो केवल सौभाग्य से भागने में सक्षम थी। आवेदक का पांच मामलों का आपराधिक इतिहास है और वह बार-बार अपराधी प्रतीत होता है, जिसे इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

8. मैंने पक्षगण के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

9. घटना के एक दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़िता धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयान के अनुसार, बी.एन.एस.एस. बिना कोई शोर गुल उठाए आवेदक के साथ चली गई और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि आवेदक ने या तो उसे धमकी दी या उसे अपने साथ यात्रा करने के लिए मजबूर किया। पीड़िता को भी आवेदक के कब्जे से बरामद नहीं किया गया था और कहा जाता है कि जब आवेदक मौजूद नहीं था तो वह अच्छी तरह से भाग गई थी। बताया जाता है कि आवेदक के पिता ने सूचनाकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ केस अपराध संख्या-275 वर्ष 2022 की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

10. प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय की राय में, आवेदक को प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया जा सकता है। आवेदक के चाचा ने सूचनाकर्ता के भाई के साथ-साथ आरोपी



के परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज की थी, जिसे केस अपराध संख्या-564 वर्ष 2022 के रूप में दर्ज किया गया था।

11. आवेदक के आपराधिक इतिहास को संतोषजनक ढंग से समझाया गया है। हालांकि, आवेदक का आपराधिक इतिहास है, हालांकि, यह उसे अग्रिम जमानत देने के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकता है जब मामला झूठे निहितार्थ का मामला प्रतीत होता है।

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

13. आवेदक, पंकज यादव की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित थाना/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि में दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर उपरोक्त मामले के अपराध में तत्काल रिहा किया जाएगा: -

- i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;

14. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां ऊपर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और उन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

मार्च 30, 2026

एस.ए.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।